HEAD OFFICE

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gauradevi Parayavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road
DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46–बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून(उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 31.07.2021 में प्रस्तावित प्रस्ताव बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि को किस प्रकार एवं किस–किस मद में प्रयोग किया जायेगा के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न संशोधन के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया :–

प्रस्ताव के बिन्दु सं0 क पर उल्लेखित "बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण, सवंर्धन एवं अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण के बाद प्रदूषण न्यूनीकरण (Reduction of Pollution) जोड़ा जाय।"

प्रस्ताव के बिन्दु सं0 ग (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाय "सामान्य रूप से बोर्ड द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया बचत का 75% जो कि रू0 5.0 करोड़ से अधिक न हो का वित्तीय सहायता पर्यावरण संरक्षण, सवंर्धन अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण एवं प्रदूषण न्यूनीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्यो के लिए किया जायेगा।"

प्रस्ताव के नोट के बिन्दु सं0 1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाय। "पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के मामलों में बोर्ड में प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूति की धनराशि को अलग रखा जाय। इसका प्रयोग पर्यावरण संरक्षण, सवंर्धन अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण एवं प्रदूषण न्यूनीकरण हेतु किया जाय। यथासम्भव जिन क्षेत्रों से पर्यावरणीय क्षतिपूति की धनराशि की वसूली की जाती है उक्त धनराशि का उसी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, सवंर्धन अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण एवं प्रदूषण न्यूनीकरण हेतु किया जाय।"

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि इस प्रस्ताव में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य विभागों जो कि प्रदूषण न्यूनीकरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके क्षमता निर्माण (Capacity Building) एवं पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में उच्च स्तर के कार्य करने वाले औद्योगिक इकाईयों, संगठ्नों एवं व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले को भी प्रोत्साहन के रूप में प्रत्लेक वर्ष awards (पुरस्कार) दिये जाने को भी इस प्रस्ताव में रखा जाय।

इस सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री एस0 एस0 पाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रशा0) एवं डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता को निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये।

(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

OFFICE COPY

यूकेपीसीबी/एच.ओ./27वीं बो0 बै0/सा0–06/2021/ 2817-2869 दिनांक 24 .08.2021

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (तकनीकी), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री पी0 के0 जोशी, पर्यावरण अभियंता /डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता/श्री सोमपाल सिंह, पर्यावरण अभियंता/डा0 राजेन्द्र सिंह, सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी/श्री अनुराग नेगी, सहा0 पर्यावरण अभियंता उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रुड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।

OFFICE COPY

17.8.21

(सुदर्शन एस0 पाल)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी